



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र०- छग०/दुर्ग/चूप.-19/रायपुर

खान कोड: 38 एमपीआर 13022

दिनांक:- 22/07/2019

प्रति,

पूजा रूपरेला,
सर्वश्री रूपरेला ब्रदर्स,
साई कृपा, अर्जुन निवास,
जे-4 ग्रीन आर्केड, अवनी विहार, दलदल सिवनी,
मोवा, रायपुर (छ.ग.)-492007

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी सहगाँव चूनापत्थर खदान 5.908 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 25/06/2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री तुकाराम देवांगन, सुपरवाइजर एवं श्री विकेश्वर ठाकुर खनन अभियंता की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11(1)	The following deviations have been found in the mine from the Modified Mining Plan vide DRG/LST/MPLN-1097/2017/Raipur, Raipur dated 27/06/2017 for the period of 2017-18 to 2021-22: Development: There was a proposal given for development and excavation of mineral/ore During F.Y. 2017-18: in between local co-ordinates N30 to N100 and E60 to E120. During F.Y. 2018-19: in between Local co-ordinates N30 to N90 and E45 to E90. Whereas, Mining is being done irregularly in several places without any approved proposal. No such proposal has been given in the earlier approved MMP for mining at 7.5 m barrier zone. Development and excavation was observed all along the lease boundary, and most of places 7.5m barrier zone has been mined out Afforestation: There was a proposal for plantation of 600 nos. of plants during 2017-18 to 2018-19. Whereas, None of the plants have been planted.
Rule 26 (2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2017-18 and 2018-19.
Rule 33	Updated print copy of the surface geological plan and sections has not been submitted before 30th day of June for the year 2017-18 and 2018-19.
नियम संख्या 45 (5) (b)	मासिक विवरणियाँ : खान की माह अप्रैल 2019 से जून 2019 की मासिक विवरणीयाँ ऑनलाइन नहीं भरी गई है एवं विवरणियों की प्रति क्षेत्रीय खान नियंत्रक, रायपुर को प्रेषित नहीं की गई है। नियमानुसार मासिक विवरणियाँ संबंधित माह के समाप्ति के 10 दिन के भीतर www.ibm.gov.in पर ऑनलाइन भर कर एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए।
नियम संख्या 45 (7)	Annual Returns for F.Y. 2017-18: Part VI; Consignee name and registration no. as allotted by IBM to the buyer, have not been mentioned in the returns. Annual Returns for F.Y. 2018-19: Part I; Lease area (surface area) utilisation as at the end of year (hectares) has not been mentioned.
Rule 55	Full-time Mining Engineer and a Geologist are not been appointed.

कृ०पृ०प०.2.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर